

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

प्रेस – नोट

आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016 में वर्जित वस्तुओं बाबद

इन्दौर, दिनांक 23.05.2016, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2016, दिनांक 17.03.2016 को विभिन्न विभागों के कुल 255 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016 दिनांक 31.05.2016 को प्रदेश के 51 जिलों के 440 केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है।

परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षार्थियों हेतु स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षार्थी परीक्षा में अपने कपड़ों, कफलीक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिये परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।

एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/बकल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वॉलेट, टोपी वर्जित है।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहनने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जावेगी।

परीक्षार्थियों को मोबाइल, केलक्युलेटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पठन सामग्री एवं वर्जित वस्तुएं लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व परीक्षार्थियों से उक्त सामग्री प्राप्त कर सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

परीक्षा नियंत्रक